नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

10 अगस्त 2004

एस.एन. वरियावा और अरिजीत पसायत, जे.जे.,

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944-धारा 3-अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कर्तव्य (कपड़ा और कपड़ा सामग्री) अधिनियम, 1978-धारा 3 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम द्वारा कच्चे माल से कपास यार्ड निर्मित मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी) के अलावा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी)-अधिसूचना 55/91-सीई के तहत 100 प्रतिशत ईओयू को एईडी से छूट प्रदान की गई-अधिसूचना 8/97-सीई द्वारा, 100 प्रतिशत ईओयू को इससे छूट दी गई निर्माता या विनिर्माता द्वारा भुगतान की गई बीईडी की राशि से अधिक शुल्क का भुगतान करना, जो 100 ईओयू प्रतिशत नहीं है - अधिसूचना 11/2000-सीई द्वारा संशोधन के बाद, अधिनियम के तहत या उस समय के किसी अन्य कानून के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से अधिक की राशि लागू होने के नाते छूट-परिपत्र दिनांक 19.10.2000 ने स्पष्ट किया कि बीईडी-उच्च न्यायालय के अलावा 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर एईडी लगाया जाएगा, श्या उस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत शब्द ने दी गई छूट को

छीन लिया है। अधिसूचना 55/91-सीई के तहत-धारण की शुद्धतारू अधिसूचना 8/97-सीई और अधिसूचना 11/2000 सीई एईडी का भुगतान करने के लिए 100 प्रतिशत ईओयू पर दायित्व नहीं बनाती है-अधिसूचना 55/91-सीई के प्रभाव को भी कम नहीं किया गया है 100 प्रतिशत ईओयू के संबंध में - इस प्रकार, परिपत्र और उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार टिकाऊ नहीं है - इसलिए, अलग रखा जाए।

एफ अपीलकर्ता - 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम (ईओयू) स्वदेशी कच्चे माल से सूती धागे के निर्माण में लगे हुए हैं, जिन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 के तहत मूल उत्पाद शुल्क (बीईडी) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एईडी) लगाया जाता है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा जी लेख) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के तहत। अधिसूचना संख्या 55/91-सीई जारी की गई थी और उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले 100 प्रतिशत ईओयू को अतिरिक्त शुल्क से छूट दी गई थी। इसके बाद, अधिसूचना संख्या 8/97-सीई के तहत 100 प्रतिशत ईओयूएस को भुगतान की गई बीईडी की राशि से अधिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई।

निर्माता या विनिर्माता द्वारा जो 100 प्रतिशत ईओयू नहीं है। उक्त अधिसूचना को अधिसूचना 11/2000-सीई और 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा संशोधित किया गया था। बीईडी की राशि से अधिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है, साथ ही एईडी की राशि और वर्तमान में लागू

किसी भी अन्य कानून के तहत उत्पाद शुल्क के किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान निर्माता या निर्माता द्वारा किया जाता है जो 100 प्रतिशत ईओयू नहीं है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 19.10.2000 को एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि एईडी स्वदेशी कच्चे माल से 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा निर्मित और बीईडी के अलावा डीटीए में संशोधित यार्न पर भी लगाया जाएगा। सर्कुलर को चुनौती दी गई, और उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि क्या उस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानूनी शब्दों की शुरूआत ने अधिसूचना संख्या 55/91 के तहत अपीलकर्ताओं की तरह निर्माताओं को दी गई छूट को छीन लिया है। इसलिए वर्तमान अपील करता है।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि बोर्ड और उच्च न्यायालय दोनों इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि क्या उस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानूनी शब्दों की शुरूआत किसी भी तरह से अधिसूचना संख्या 55/91-सीई से मिलने वाली छूट को प्रभावित नहीं करती है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. अधिसूचना संख्या 8/97-सीई दिनांक 1.3.1997 और अधिसूचना 11/2000-सीई दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधित को पढ़ने से पता चलता है कि 100 प्रतिशत ईओयू और अन्य द्वारा शुल्क के भुगतान को तर्कसंगत बनाने का स्पष्ट इरादा था। जो स्पष्ट रूप से अभिप्रेत है वह निर्माता की ई-देनदारी से संबंधित है जो उस राशि का भुगतान करने के

लिए 100 प्रतिशत ईओयू है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत या उस पर लागू होने वाले समय के लिए किसी अन्य कानून के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के कुल योग के बराबर है। जैसे कि भारत में उन लोगों द्वारा उत्पादित या निर्मित सामान जो भारत में बेचे जाने पर 100 प्रतिशत ईओयू नहीं हैं। स्पष्ट उद्देश्य यह देखना था कि पी निर्माता जो 100 प्रतिशत ईओयू है वह दूसरों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में नहीं है। [440-एफ-एच]

2. असंशोधित अधिसूचना 8/97-सीई और संशोधन अधिसूचना संख्या 11/2000 सीई के बाद की अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि संशोधन द्वारा डाले गए शब्द, बाद के शब्दों का योग' बराबर और जी शब्द या नीचे मूल अधिसूचना में 'केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के बाद' फिलहाल लागू कोई भी अन्य कानून किसी भी तरह से एईडी का भुगतान करने के लिए 100 प्रतिशत ईओयू पर दायित्व नहीं बनाता है। अधिसूचना संख्या 55/91-सीई दिनांक 25.7.1991 किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, के बावजूद, अपीलकर्ता जैसे निर्माता चिंतित हैं जैसा कि अधिसूचना संख्या 11ध्2000-सीई दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या 8/97-सीई दिनांक 1.3.1997 में प्रदान किया गया है। एकमात्र परिवर्तन यह है कि अधिसूचना 8/97-सीई दिनांक 1.3.97 के तहत 100 प्रतिशत ईओयू को निर्माता या निर्माता द्वारा भुगतान की गई बीईडी की राशि से अधिक शुल्क से छूट दी गई थी, जो 100

प्रतिशत ईओयू नहीं है, जबकि अधिसूचना 11 द्वारा आर संशोधन के बाद 11/2000-सीई 100 प्रतिशत ईओयू को बीईडी की राशि से अधिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है, साथ ही एईडी की राशि और किसी अन्य कानून के तहत किसी भी अन्य उत्पाद शुल्क का भुगतान, निर्माता या निर्माता द्वारा भुगतान किया गया है जो 100 नहीं है। ईओयू. इस प्रकार, परिपत्र दिनांक 19.12.2000 में व्यक्त विचार और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण बचाव योग्य नहीं है और इसलिए, खारिज कर दिया गया है। [441-ए-एफ, सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 6324-6328/2002

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 13.7.2001 के निर्णय एवं आदेश से जो कि सी.डब्ल्यू.पी.2001 की संख्या 842, 843, 845, 846 और 3033 में पारित किया गया।

साथ

सीए क्रमांक 6332, 6329, 6331, 6330/2002, 513-34, 5135-36, 5137-38/2004, 423-425, 6989, 8018, 9487/2003, 287/2004 और 2003 के 9694।

बलबीर सिंह, विवेक कोहली, अभिषेक जैन, श्रीमती रेवती राघवन, राजेश कुमार, नंद किशोर, सिद्धार्थ सेन, पवन कुमार, आर. संथानम, राजेंद्र सिंघवी, अशोक कुमार सिंह, एम.एच. पटेल, श्री नारायण, संदीप नारायण, सुश्री अंजलि झा, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, आर.के. हांडू, के.वी. मोहन और ए.के. यादव अपीलकर्ताओं की ओर से।

अनुप चौधरी, रोहित सिंह, शैलेन्द्र शर्मा, हेमन्त शर्मा, संजीव सेन, पी. परमेश्वरन और बी.के. प्रसाद उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत,जे. द्वारा सुनाया गया।

एसएलपी © संख्या 24882-24883/2002, 24884-24885/2002 और 1223-1224/2003 में छुट्टी दी गई।

इन सभी अपीलों में समान मुद्दे शामिल हैं और इसलिए, इस निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक अपील शामिल होगी। प्रत्येक नकद में अपीलकर्ता केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली (इसके बाद संदर्भित) द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की शुद्धता पर सवाल उठाता है। ('बोर्ड' के रूप में) के परिपत्र दिनांक 19.10.2000 में यह स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (संक्षेप में 'एईडी) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा लेख) अधिनियम, 1978 (संक्षेप में 'अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम) के तहत है।') मूल उत्पाद शुल्क (संक्षेप में ईओयू') के अलावा, स्वदेशी कच्चे माल से 100 प्रतिशत निर्यात

उन्मुख उपक्रमों (संक्षेप में 'ईओय') द्वारा निर्मित और घरेलू टैरिफ क्षेत्र (संक्षेप में 'डीटीए') में स्वीकृत यार्न पर भी लगाया जाएगा। 'बीईडी') केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत देय है। अपीलकर्ताओं ने डीटीए में स्वीकृत यार्न पर एईडी के भुगतान के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी अधिसूचनाओं की वैधता पर भी सवाल उठाया।

अपीलकर्ता 100 प्रतिशत ईओयू के रूप में पंजीकृत हैं जो स्वदेशी कच्चे माल से सूती धागे के निर्माण में लगे हुए हैं, जिन पर अधिनियम की धारा 3 के तहत बीईडी लगाया जाता है और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3 के तहत एईडी लगाया जाता है। अधिनियम की धारा 5ए(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई छूट के आधार पर, अधिसूचना संख्या 55/91-सीई, दिनांक 25.7.1991 को छूट के उद्देश्य से उनके मामलों पर लागू किया गया था। इसके बाद, अधिसूचना संख्या 8/97 सीएफ, दिनांक 1.3.1997 जारी की गई, जहां वर्तमान अपीलकर्ताओं जैसे कुछ निर्माताओं को केवल उत्पादित समान वस्तुओं पर अधिनियम की धारा 3 के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर राशि से अधिक की छूट दी गई थी। यदि भारत में बेचा जाता है तो 100 प्रतिशत ईओयू या मुक्त व्यापार क्षेत्र के अलावा भारत में निर्मित। इसके बाद, उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्या 21/97-सीई दिनांक 11.4.1997, 7/98-सीई दिनांक 2.6.1998 और 11/2000-सीई दिनांक

1.3.2000 द्वारा संशोधित किया गया था। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप जो छूट दी गई वह अधिनियम के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से अधिक की राशि थी।

इन अपीलों में जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या "या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत" शब्दों को जोड़ने से 100 प्रतिशत ईओयू के अलावा अन्य उत्पादकों या निर्माताओं पर एईडी का भुगतान करने का दायित्व आता है। बोर्ड ने 19.10.2000 को एक परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि यह इतना देय है और अधिसूचना संख्या 55/91-सीई अब अपीलकर्ताओं जैसे निर्माताओं के लिए कोई सहायता नहीं है। इस परिपत्र में व्यक्त विचार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई सिविल रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। आक्षेपित निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने उन रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि "या उस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानून" शब्दों की शुरूआत ने निर्माताओं को दी गई छूट को छीन लिया।

अधिसूचना संख्या 55/91-सीई के तहत अपीलकर्ताओं की तरह सभी रिट याचिकाओं का निपटारा एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया जो इन अपीलों में चुनौती का विषय है। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड और आर उच्च न्यायालय दोनों इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि "या उस समय लागू होने वाले किसी अन्य कानून" शब्दों की शुरूआत किसी भी तरह से अधिसूचना संख्या 55/91 सीई से मिलने

वाली छूट को प्रभावित नहीं करती है। अपीलकर्ताओं को मूल उत्पाद शुल्क और एईडी का भुगतान करना आवश्यक था क्योंकि उनके काउंटर पार्ट्स जो 100 प्रतिशत ईओयू नहीं थे, उन्हें भुगतान करना आवश्यक था। जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है, इसका एईडी की देनदारी बनाने से कोई लेना-देना नहीं है।

जवाब में, भारत संघ के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि परिपत्र में व्यक्त और उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित विचार किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। अधिसूचना संख्या 11/ 2000-सीई दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधित अधिसूचना संख्या 8/97-सीई को पढ़ने से जो मूल इरादा स्पष्ट है, वह यह है कि एक निर्माता जो 100 प्रतिशत ईओयू नहीं है

दूसरों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में।

प्रासंगिक अधिसूचनाएं और परिपत्र इस प्रकार हैं-

अधिसूचना संख्या 55/91-सीई दिनांक 25.7.1991- धारा 5ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को अतिरिक्त शुल्क से छूट केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा सामग्री) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पढ़ें, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना सार्वजनिक

हित में आवश्यक है, इसके द्वारा सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को दूसरे उल्लिखित अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट मिलती है।अधिसूचना संख्या 8/97 दिनांक 1.3.1997 (संशोधन से पहले) - एफटीजेड या ईओयू में उत्पादित कुछ वस्तुओं पर शुल्क की प्रभावी दर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होकर कि जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में निर्दिष्ट और उत्पादित या निर्मित तैयार उत्पादों, अस्वीकृत और अपशिष्ट या स्क्रैप को छूट देती है। 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र में पूरी तरह से उत्पादित या निर्मित कच्चे माल से, और उप-पैराग्राफ के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार भारत में बेचने की अनुमति है। (ए), (बी), (सी), (डी) और (एफ) पैराग्राफ 9.9 या पैराग्राफ 9.20 के निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल 1997 -31 मार्च, 2002, की धारा 3 के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के इतने हिस्से से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की उक्त धारा 3 के तहत सौ के अलावा भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के

बराबर राशि से अधिक है। प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र, यदि भारत में बेचा जाता है।

बशर्ते कि इस अधिसूचना में शामिल कुछ भी वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसे तैयार उत्पाद, यदि सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र में एक इकाई के अलावा किसी अन्य इकाई द्वारा निर्मित और साफ किए जाते हैं, तो उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाती है या शुल्क की एनआईटी दर पर प्रभार्य हैं।

अधिसूचना संख्या 11/2000 दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधन के बाद अधिसूचना 8/97-सीईः

एफटीजेड या ईओयू में उत्पादित कुछ वस्तुओं पर शुल्क की प्रभावी दर - केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि यह सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची में निर्दिष्ट तैयार उत्पादों, अस्वीकृत और अपशिष्ट या स्क्रैप को जी में सौ प्रतिशत निर्यात की छूट मिलती है। उन्मुख उपक्रम या एक मुक्त व्यापार क्षेत्र जो पूरी तरह से भारत में उत्पादित या निर्मित कच्चे माल से बना है, और उप-पैराग्राफ (ए), (बी), (सी), (डी) और (एफ) पैराग्राफ 9.9 या पैराग्राफ 9.20 के निर्यात और आयात की नीति, 1 अप्रैल, 1997-31 मार्च, 2002, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की

धारा 3 के तहत उस पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के उतने हिस्से से, जो कुल राशि के बराबर राशि से अधिक है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की उक्त धारा 3 के तहत या किसी अन्य कानून के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र के अलावा भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर लागू होते हैं, यदि भारत में बेचा जाता है। बशर्ते कि इस अधिसूचना में शामिल कुछ भी वहां लागू नहीं होगा जहां ऐसे तैयार उत्पाद, यदि सौ प्रतिशत निर्यात-उन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र में एक इकाई के अलावा किसी अन्य इकाई द्वारा निर्मित और साफ किए जाते हैं, तो उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाती है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य हैं।

परिपत्र 554/50/2000-सीएक्स दिनांक 19.10.2000

एफ. नं. 268/37/2000-सीएक्स. 8

100 प्रतिशत ईओयूएस द्वारा किए गए यार्न की डीटीए मंजूरी के संबंध में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की उगाही।

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली

विषय 100 : ईओयूएस द्वारा किए गए यार्न की डीटीए मंजूरी के संबंध में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कपड़ा और कपड़ा लेख) अधिनियम, 1970 की उगाही - संबंध में।

1. मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि बोर्ड में स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्या कपड़ा और कपड़ा सामग्री अधिनियम, 1978 के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जिसे इसके बाद एईडी (टी एंड टीए) के रूप में संदर्भित किया जाता है, कपासध्मानव निर्मित यार्न पर लगाया जाता है या नहीं और स्वदेशी कच्चे माल का उपयोग करके 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा डीटीए में प्रवेश किया गया। यह दर्शाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय संगठन माल विनिर्माण पर उपर्युक्त अधिनियम के तहत अतिरिक्त शुल्क की मांग कर रहे हैं, को तैयार किया गया और डीटीए में मंजूरी दे दी गई, हालांकि अधिसूचना संख्या 55 ध्91-सीई दिनांक 25.7.1991 के तहत ऐसे सामानों के लिए विशिष्ट ए छूट है और इसलिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

2. मामले की जांच की गयी है. यह देखा गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के प्रावधान के अनुसार 100 प्रतिशत ईओयू में उत्पादित और भारत में बेचने की अनुमति वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगता है, जो लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के कुल शुल्क के बराबर है। भारत में आयात होने पर समान वस्तुओं पर, कपड़ा धागों के आयात पर, मूल सीमा शुल्क के अलावा, वस्तुओं पर अतिरिक्त

सीमा शुल्क (प्रतिकारी शुल्क) भी लगेगा, जो देश में उत्पादित समान वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए जाने वाले कुल शुल्क के बराबर होगा। (इस प्रकार इस सीवी शुल्क में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मूल केंद्रीय उत्पाद शुल्क और टी एंड टीए अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क का अतिरिक्त शुल्क शामिल होगा)।

3. अधिसूचना संख्या 8/97-सीई दिनांक 1.3.1997, अधिसूचना संख्या 11/2000-सीई दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधित प्रावधान है कि निर्मित तैयार माल के संबंध में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा देय उत्पाद शुल्क विशेष रूप से स्वदेशी कच्चे माल से और डीटीए में मंजूरी "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की उक्त धारा 3 के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत उत्पादित या निर्मित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के कुल तक सीमित होगी।" भारत में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र को छोड़कर। दूसरे शब्दों में, 100 प्रतिशत ईओयू से डीटीए तक उत्पादित और क्लीयर किए गए ऐसे यार्न को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत ही भुगतना पड़ता है, इस छूट के आधार पर, शुल्क जो यार्न पर मूल उत्पाद शुल्क और एईडी (टी और टीए) के बराबर होता है। सूत का उत्पादन किया गया।

4. चूंकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले शुल्क के अलावा, 100 प्रतिशत ईओयू में उत्पादित और डीटीए में समाशोधित वस्तुओं पर कपड़ा और कपड़ा लेख अधिनियम, अधिसूचना संख्या 55/91-सीई एच के तहत अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लगाया जाएगा। दिनांक 25.7.1991 को जारी किया गया था जिसने 100 : ईओयू में उत्पादित या निर्मित सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को एईडी (टी एंड टीए) के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के पूरे शुल्क से छूट दी थी। इस प्रकार, संशोधित अधिसूचना संख्या 8/97-सीई और 55/91-सीई का प्रभाव कपड़ा और कपड़ा लेख अधिनियम के तहत लगाए जाने वाले यार्न चरण शुल्क को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम प्लस एईआई के तहत मूल शुल्क तक सीमित करना है।

5. अधिसूचना संख्या 8/97-सीई दिनांक 1.3.1997 में संशोधन, जैसा कि ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित है, जिसमें "या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत" डाला गया है, महत्वपूर्ण है और उत्पाद शुल्क में समानता लाता है विशेष रूप से स्वदेशी सामग्रियों से उत्पादित यार्न पर 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा उनकी घरेलू मंजूरी पर देय शुल्क और स्वदेशी सामग्रियों से समान सामान बनाने वाले घरेलू निर्माता द्वारा देय शुल्क।

6. इस प्रकार, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रभावी ढंग से 1.3.2000, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत मूल कर्तव्यों के अलावा, स्वदेशी कच्चे माल से 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा निर्मित और

डीटीए में समाशोधित यार्न पर एईडी (टी एंड टीए) भी लगाया जाएगा। जहां भी, ऐसे एईडी (टी एंड टीए) एकत्र नहीं किए जा रहे हैं, वसूली के लिए उपयुक्त कदम शीघ्रता से उठाए जा सकते हैं।

भारत संघ द्वारा किए गए तर्क के विपरीत, अधिसूचना संख्या 8/97-सीई दिनांक 1.3.1997 और अधिसूचना 11/2000-सीई दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधित को पढ़ने से पता चलता है कि स्पष्ट इरादा था 100 प्रतिशत ईओयू और अन्य द्वारा शुल्क के भुगतान को तर्कसंगत बनाना। जो स्पष्ट रूप से इरादा है वह उस निर्माता के दायित्व से संबंधित है जो 100 प्रतिशत ईओयू है जो उस राशि का भुगतान करता है जो अधिनियम की धारा 3 के तहत या उस समय लागू होने वाले जी के लिए किसी अन्य कानून के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के कुल योग के बराबर है। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निर्माता या निर्माता द्वारा भारत में उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर अधिनियम और किसी अन्य कानून के तहत जो भी उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, जो भारत में बेचे जाने पर 100 प्रतिशत ईओयू नहीं है। स्पष्ट वस्तु यह देखना था कि जो निर्माता 100 प्रतिशत ईओयू है, वह अपने प्रतिद्वंद्वी से समान माल पर लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। उसके समकक्ष को भारत में सामान की तरह बेचने पर होवर करें। पहले दिया गया लाभ ईओयूएस अधिनियम की धारा 3 के तहत देय किसी भी शुल्क के लिए था।

अपने समकक्षों द्वारा भुगतान किए गए कर्तव्यों से अधिक है। असंशोधित अधिसूचना 8/97-सीई और अधिसूचना संख्या 11/2000-सीई द्वारा संशोधन के बाद की अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि संशोधन के माध्यम से केवल निम्नलिखित शब्द डाले गए थे

(i) मूल अधिसूचना में "बराबर" शब्दों के बाद "कुल" शब्दों का परिचय।

(ii) मूल अधिसूचना में "केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 3" के बाद निम्नलिखित शब्दों का परिचय अर्थात "या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत।

यह किसी भी तरह से एईडी का भुगतान करने के लिए 100 प्रतिशत ईओयूएस पर दायित्व नहीं बनाता है। जहां तक अपीलकर्ताओं जैसे निर्माताओं का संबंध है, अधिसूचना संख्या 55/91-सीई दिनांक 25.7.1991 को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया गया है, इसके बावजूद कि अधिसूचना संख्या 8/97-सीई दिनांक 1.3.1997 में डी द्वारा संशोधित प्रावधान किया गया है। अधिसूचना संख्या 11/2000-सीई दिनांक 1.3.2000/ जैसा कि ऊपर बताया गया है, एकमात्र परिवर्तन यह है कि अधिसूचना 8/97-सीई दिनांक 1.3.97 के तहत 100 प्रतिशत ईओयूएस को भुगतान किए गए बीईडी की राशि से अधिक शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई थी। निर्माता या विनिर्माता जो 100 प्रतिशत ईओयू बाद में नहीं है अधिसूचना 11/2000-सीई दिनांक 1.3.2000 द्वारा संशोधन 100 प्रतिशत ईओयू एफ है बीईडी की राशि से अधिक की राशि से अधिक शुल्क

का भुगतान करने से छूट एईडी प्लस फिलहाल किसी भी अन्य कानून के तहत उत्पाद शुल्क का कोई अन्य शुल्क लागू, निर्माता या निर्माता द्वारा भुगतान किया गया जो 100 प्रतिशत ईओयू नहीं है। इस प्रकार, परिपत्र दिनांक 19.12.2000 में व्यक्त विचार और का दृश्य उच्च न्यायालय बचाव योग्य नहीं हैं। अतः उपर्युक्त परिपत्र रद्द किया जाता है।

इन अपीलों में लगाए गए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया गया है।

अपीलों को बिना किसी आदेश के संकेतित सीमा तक अनुमति दी जाती है।

एन.जे अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रियंका तनान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणरू यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।